

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2012 (*Amendment of Article 85*).

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : पूंन यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

पूस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: I introduce the Bill.

सभापति महोदय : कुमारी मीनाक्षी नटराजन - अनुपस्थित

श्री भूपेन्द्र सिंह - अनुपस्थित

श्री भूपेन्द्र सिंह - अनुपस्थित

डा. राजन सुशान्त - अनुपस्थित

**16.27 hrs.**